


40

II/ग्रा/रीवा/भृ-रा/2018/02433

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ज्वालियर, कैफ्प कोर्ट रीवा म०प०



1:- गैरी पिता सियम्बर | दोनो निवासी रजिस्टर

2:- बृजपाती पिता विनोदपरी , |

3 :- रमाकान्त पटे त तनय रामवतार |

4:- छोटे लाल पटेल तनय राम तुमार

5:- यसलाल पटेल |

6- हीरा लाल पटेल |

सभी निवासी ग्रा रजिस्टर, तहा मछंग ज़िला रीवा म०प०

— आवैदकाण

बनाम

1:- महादेव तनय लालमीण

2:- सिद्ध मुर्नि पिता राम मनोहर

3- पूर्वलाल तनय बिहारी लाल

4- राम लखन तनय राम बिहारी

5- मु० बसन्ती बेवा वसुधा

निवासी ग्राम छोटा, तहसील मछंग, ज़िला रीवा म०प०

— अनावैदकाण

निगरानी विस्तृ आदेश अपर कोवटर महोदय  
रीवा के प०प० 3 74/2013-2014 चिन्हि

दिनांक 21-2-2018

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भूरा० सीहिता

(प्र)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

दो/निग./रीवा / 2018 / 2433

गैवी आदि विरुद्ध महादेव आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-06-2018	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री बहमेन्द्र कुमार तिवारी उपस्थित हुये, उन्हें कायमी पर सुना गया।</p> <p>2/ प्रकरण में संलग्न अपर कलेक्टर मऊगंज जिला रीवा के आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर ने सभी बटा नम्बरों का नक्शा तरमीम स्थल जांच उपरांत सभी समवर्ती पक्षकारों की उपस्थिति में कराये जाने के आदेश दिये हैं। अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती। अतः प्रकरण में ग्राह्य के पर्याप्त आधार न होने से अग्राह्य किया जाता है।</p> <p>3/ पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p> <p><i>mm/20/6/18</i> सदस्य</p> 